संख्या-211/2024/3659/22-2-2022-17(405)/2022

प्रेषक,

शिवगोपाल सिंह,
सयुंक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

पुलिस महानिदेक/महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 अक्टूबर, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुस्तकीम पुत्र श्री मोहम्मद अजीम कुरैशी, निवासी जनपद-बिजनौर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-36314/प्रोवेशन-3/फार्म-ए/(एम-10.01.2022), दिनांक-17.11.22 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुस्तकीम पुत्र श्री मोहम्मद अजीम कुरैशी, निवासी जनपद-बिजनौर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 14.10.2006 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रेल गाड़ी मे सीट को लेकर विवाद की रंजिश में तमन्चे से गोली मारकर धर्मेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-06/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-06,मुरादाबाद के आदेश दिनांक 14.05.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.09.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष, 11 माह,16 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 09 माह, 01 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 14.10.2006 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रेल गाड़ी मे सीट को लेकर विवाद की रंजिश में तमन्चे से गोली मारकर धर्मेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समय पूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 37 वर्ष 02 माह है। अतएव बन्दी द्वारा कारित 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रेल गाड़ी मे सीट को लेकर विवाद की रंजिश में तमन्चे से गोली मारकर हत्या करने,पुनः अपराध करने में अशक्त न होने आदि सभी तथ्यों पर विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मुस्तकीम पुत्र श्री मोहम्मद अजीम कुरैशी,निवासी जनपद-बिजनौर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुस्तकीम (बंदी संख्या-44960) पुत्र श्री मोहम्मद अजीम कुरैशी, निवासी जनपद-बिजनौर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिवगोपाल सिंह
सयुंक्त सचिव।

संख्या-211/2024/3659(1)/22-2-2022-17(405)/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-211/2024/3659(2)/22-2-2022-17(405)/2022

दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुस्तकीम (बंदी संख्या-44960) पुत्र श्री मोहम्मद अजीम कुरैशी, निवासी जनपद-बिजनौर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 14.10.2006 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रेल गाड़ी मे सीट को लेकर विवाद की रंजिश में तमन्चे से गोली मारकर धर्मेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-06/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-06, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 14.05.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.09.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष, 11 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 09 माह, 01 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 14.10.2006 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रेल गाड़ी मे सीट को लेकर विवाद की रंजिश में तमन्चे से गोली मारकर धर्मेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समय पूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 37 वर्ष 02 माह है। अतएव बन्दी द्वारा कारित 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रेल गाड़ी मे सीट को लेकर विवाद की रंजिश में तमन्चे से गोली मारकर हत्या करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने आदि सभी तथ्यों पर विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मुस्तकीम पुत्र श्री मोहम्मद अजीम कुरैशी, निवासी जनपद-बिजनौर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिवगोपाल सिंह
सयुंक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।